Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 13-03-2006
Participants : Dangawas Shri Bhanwar Singh

an>

Title : Need to make suitable amendment in the Crop Insurance Scheme by considering 'Village' as a unit for providing compensation to the farmers in the country.

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : सभापति महोदय, फसल बीमा योजना लागू हुये दो साल हो गये हैं, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसमें दो भारी कमियां हैं, एक फसल की हानि का मापदंड लेने के लिये तहसील को ईकाई मानते हैं। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण तहसील में फसल को हानि हो तभी फसल बीमा मुआवज़ा देना संभव है, जो कि गलत है। हालांकि राज्य सभा में यह घोाणा हुई है कि ग्राम पंचायत ईकाई माना जायेगा। यह भी अपर्याप्त है जब कि गांव को ईकाई मानकर बीमा किया जाना चाहिये। दूसरी ओर किसान जो क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेता है, उससे जबरदस्ती बीमा योजना के अंतर्गत ले लेता है और कर्ज की राशि पर बैंक पहले ही बीमा किस्त काट लेती है। इसके लिये जो कास्तकार बीमा करवाना चाहते हैं, उससे ही बीमा की किस्त लेनी चाहिये। जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन से बीमा किस्त नहीं काटनी चाहिये। किसानों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये फसल बीमा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिये।